रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 4, 2009/फाल्गुन 13, 1930
No. 130] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 4, 2009/PHALGUNA 13, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2009

सा.का.नि. 149(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में,क्रम संख्या 73: भेषज उद्योग (औषधि प्रपुंज) और स्तंभ 3 तथा स्तंभ 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जाएंगी , अर्थात् :-

क्रम सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक	
1	2	3	4	
		"क. भष्मीकरण संयंत्र से उत्सर्जन		
			जब तक उल्लिखित न हो, सांद्रण सीमा मि.ग्रा/नार्मल घन मी. में	जब तक उल्लिखित न हो, सैम्पलिंग अवधि (मिनटों में)
		विविक्त पदार्थ	50	30 अथवा अधिक (सैम्पलिंग के लिए लगभग 300 लीटर उत्सर्जन)
		HCl	50	30
		SO_2	200	30

1	2	3		4	5
		CO		100	दैनिक औसत
		कुल जैविक कार्बन		20	30
		कुल डायक्सीन्स एवं फूरॉन्स*	मौजूदा भष्मीकरण संयंत्र	0.2 ngTEQ/Nm^3	8 घंटे
			नए भष्मीकरण संयंत्र	0.1 ngTEQ/Nm^3	8 घंटे
		Sb +As +Pb + Cr +Co +Cu +Mn +Ni +V +Cd + Th + Hg और उनके यौगिक		1.5	2 घंटे
		* विद्यमान संयंत्र, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर डायक्सीन्स एवं फूरान्स के लिए 0.1 ng/TEQ/Nm^3 मानदण्ड का अनुपालन करेंगे ।			

टिप्पणी :

I. सभी मानीटर किए गए मानों को 11% ऑक्सीजन के अनुसार शुष्क आधार पर ठीक किया जाए ।

II. उत्सर्जित गैस में CO_2 की सांद्रणता 7% से कम नहीं होगी ।

III. यदि भष्मीकरण हेतु अपशिष्ट में हेलोजिनेटड कार्बनिक अपशिष्ट वजन में 1% से कम हो तो,

ट्विन चैम्बर भष्मीकरण संयंत्र में सभी सुविधाओं को इस तरह डिजाइन किया जाएगा ताकि प्राइमरी चैम्बर में 850±25°C का न्यूनतम तापमान बनाए रखा जा सके और सेकेन्डरी कम्बशन चैम्बर में 950° C का न्यूनतम तापमान बनाए जा सके जिसके साथ सेकेन्डरी कम्बशन चैम्बर में गैस अवरोधक समय 2 (दो सेकेन्ड) से कम नहीं होगा ।

अथवा

एकल चैम्बर भष्मीकरण संयंत्र में गैसीय संकटमय अपशिष्ट हेतु सभी सुविधाओं को इस तरह डिजाईन किया जाएगा ताकि कम्बशन चैम्बर में 950°C न्यूनतम तापमान बनाया रखा जा सके जिसके साथ गैस अवरोधक समय 2 (दो) सेकेन्ड से कम नहीं होगा ।

iv. यदि भष्मीकरण हेतु अपशिष्ट में हेलोजिनेटिड कार्बनिक अपशिष्ट, वजन में 1% से अधिक हो तो केवल ट्विन चेम्बर भष्मीकरण संयंत्र में अपशिष्ट का भष्मीकरण किया जाएगा तथा सभी सुविधाओं को इस तरह डिजाइन किया जाएगा ताकि प्राइमरी चेम्बर में 850±25°C का न्यूनतम तापमान और सेकेन्डरी कम्बशन चेम्बर में 1100°C का न्यूनतम तापमान बनाए रखा जा सके जिसके साथ सेकेन्डरी कम्बशन चेम्बर में गैस अवरोधक समय (दो सेकेन्ड) से कम नहीं होगा ।

1	2	3	4
		v. उत्सर्जन मार्जन के लिए जो मार्जक हैं उनका उपयोग क्वेन्चर के रूप में नहीं किया जाएगा । vi. भष्मीकरण संयंत्रों (कम्बशन चैम्बर्स) को ऐसे तापमान, अवरोधन समय और उथल-पुथल के साथ चलाया जाएगा ताकि अपशिष्ट और भष्मीकरण राख में कुल कार्बनिक कार्बन (TOC) यौगिक 3% से कम हो और इसके भष्मीकरण क्षय की मात्रा का शुष्क भार 5% से कम हो । गैर-अनुपालन के मामले में राख और /अथवा अपशिष्ट को दुबारा भष्मीकरण में डाला जाएगा । vii. भष्मीकरण संयंत्र के लिये चिमनी की न्यूनतम ऊँचाई तीस मीटर अवश्य रहेगी ।	
		ख. भष्मीकरण से बहिस्राव i. मार्जक और तल धुलाई अपजल से उत्पन्न बहिस्राव ढकी हुई नाली/आपस में जुड़े हुये पाईप नेटवर्क के माध्यम से बहाया जाएगा । ii. वर्षा जल को मार्जक जल और/अथवा तल धुलाई अपजल के साथ मिलाने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी । iii. वर्षा जल को वर्षा जल के 10 मिनट (प्रति घंटा औसत) की संग्रहण क्षमता के एच डी पी ई परत वाले गढ्ढे के माध्यम से अलग नालीं से बहाया जाएगा । iv. तल धुलाई के अपजल में कुल विघटित ठोस (TDS), अपरिष्कृत जल में विद्यमान कुल विघटित ठोस की मात्रा से 1000 मि0ग्रा0/लिटर से अधिक नहीं होगें ।" v. बहिस्रावों को टंकियों में इस तरह एकत्रित नहीं किया जाएगा जिससे भूजल प्रदूषित हो । vi. अपजल (मार्जक जल और तल धुलाई) का पर्यावरण (सुरक्षा) नियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूची vi: पर्यावरण प्रदूषणों के बहि:स्राव के लिए सामान्य मानक (भाग क: बहि:स्राव) के अंतर्गत निर्धारित मानकों के-अनुसार ग्राही जल में बहि:स्राव किया जाएगा ।"	

[फा. सं. क्यू-15017/34/2006-सी पी डब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र में सं.का.आ.844 (अ), तारीख 19 नवम्बर 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन सं.का.आ.433 (अ), तारीख 18 अप्रैल 1987, सं.का.आ. 64 (अ), तारीख 18 जनवरी 1988, सं.का.आ. 3 (अ), तारीख 3 जनवरी 1989, सं.का.आ.190 (अ), तारीख 15 मार्च 1989, सा.का.नि.913 (अ), तारीख 24 अक्टूबर 1989, सं.का.आ.12 (अ), तारीख 8 जनवरी 1990, सा.का.नि. 742 (अ), 30 अगस्त 1990, सं.का.आ. 23 (अ), तारीख 16 जनवरी 1991, सा.का.नि.93 (अ), तारीख 21 फरवरी 1991, सा.का.नि.95 (अ) , तारीख 12 फरवरी 1992, सा.का.नि.329 (अ), तारीख 13 मार्च 1992, सा.का.नि.475 (अ), तारीख 5 मई 1992, सा.का.नि. 329 (अ) तारीख 13, सा.का.नि.797 (अ), तारीख 1 अक्टूबर 1992 सा.का.नि. 386 (अ), तारीख 28 अप्रैल 1993, सा.का.नि. 422 (अ), तारीख 19 मई 1993, सा.का.नि., 801 (अ), तारीख 31 दिसम्बर 1993, सा.का.नि.176 (अ), तारीख 3 अप्रैल 1996, सा.का.नि., 631 (अ), तारीख 31 अक्टूबर 1997, सा.का.नि., 504 (अ), तारीख 20 अगस्त 1998, सा.का.नि., 7 (अ), तारीख 2 जनवरी 1999, सा.का.नि., 682 (अ), तारीख 5 अक्टूबर 1999, सा.का.नि. 742 (अ), तारीख 25 सितम्बर

2000, सा.का.नि.72 (अ), तारीख 6 फरवरी 2001, सा.का.नि.54 (अ), तारीख 22 जनवरी 2002, सा.का.नि. 371 (अ), तारीख 17 मई 2002, सा.का.नि.489 (अ), तारीख 9 जुलाई 2002 सं.का.आ.1088 (अ), तारीख 11 अक्टूबर 2002 और सा.का.नि.849 (अ), तारीख 30 दिसम्बर 2002, सा.का.नि., 520 (अ), तारीख 1 जुलाई 2003, सा.का.नि.92 (अ), तारीख 29 जनवरी 2004, सा.का.नि.448 (अ), तारीख 12 जुलाई 2004, शुद्धिपत्र सा.का.नि., 520 (अ), तारीख 12 अगस्त 2004, सा.का.नि. 272 (अ), तारीख 5 मई 2005, सा.का.नि.315 (अ), तारीख 16 मई 2005, सा.का.नि.546 (अ), तारीख 30 अगस्त 2005, सा.का.नि.46 (अ), तारीख 3 फरवरी 2006, सा.का.नि.464 (अ), तारीख 7 अगस्त 2006, सा.का.नि. 640 (अ) दिनांक 16 अक्तूबर 2006 सा.का.नि.566 (अ), तारीख 29 अगस्त 2007, सा.का.नि.704 (अ), तारीख 12 नवम्बर 2007, सा.का.नि.186 (अ), तारीख 18 मार्च 2008, सा.का.नि.280 (अ), तारीख 11 अप्रैल 2008, सा.का.नि. 344 (अ),तारीख 7 मई 2008, सा.का.नि. 414 (अ) तारीख 30 मई 2008, सा.का.नि. 481 (आ) तारीख 26 जून 2008, सा.का.नि. 579(आ), तारीख 6 अगस्त 2008, सा.का.नि. 600 (अ) तारीख 18 अगस्त 2008, सा.का.नि. 752 (अ) तारीख 24 अक्तूबर 2008 और (अ) सा.का.नि.844 (अ) तारीख 18 फरवरी, 2009 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2009

G.S.R. 149(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, in serial number 73 relating to Pharmaceuticals Industry (Bulk Drugs), after the existing entries under columns 3 and 4, the following entries shall be inserted, namely:-

S. No	Industry	Parameter		Standard	
1	2	3		4	
		" A. Emission from Incinerator			
				Limiting concentration in mg/Nm3, unless stated	Sampling duration in (minutes) unless stated
		Particulate Matter		50	30 or more (for sampling about 300 litre emission)
		HCl		50	30
		SO_2		200	30
		CO		100	daily average
		Total Organic Carbon		20	30
		Total Dioxins and Furans *	Existing Incinerator	0.2 ngTEQ/Nm^3	8 hours
			New Incinerator	0.1 ngTEQ/Nm^3	8 hours

1	2	3	4	
		Sb +As + Pb + Cr + Co +Cu +Mn + Ni + V + Cd + Th + Hg and their compounds	1.5	2 hours
		* The existing plant shall comply with norms for dioxins and furans as 0.1 ng/TEQ/Nm^3 within 5 years from the date of notification. Notes : i. All monitored values shall be corrected to 11% oxygen on dry basis. ii. The CO_2 concentration in tail gas shall not be less than 7%. iii. In case, halogenated organic waste is less than 1% by weight in input waste, all the facilities in twin chamber incinerator shall be designed so as to achieve a minimum temperature of 850±25°C in primary chamber and 950°C in secondary combustion chamber and with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than 2 (two) seconds. or all the facilities in single chamber incinerator for gaseous hazardous waste shall be designed so as to achieve a minimum temperature of 950°C in the combustion chamber with a gas residence time not less than 2 (two) seconds. iv. In case halogenated organic waste is more than 1% by weight in input waste, waste shall be incinerated only in twin chamber incinerators and all the facilities shall be designed to achieve a minimum temperature of 850±25°C in primary chamber and 1100°C in secondary combustion chamber with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than 2 (two seconds). v. Scrubber meant for scrubbing emissions shall not be used as quencher. vi. Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the incineration ash and residue less than 3%, and their loss on ignition is less than 5% of the dry weight. In case of non-conformity, ash and/or residue shall be re-incinerated. vii. The incinerator shall have a chimney of atleast thirty metre height.		

IndiaCode

856 4809-2

1	2	3	4
		B. Effluent from Incinerator	
		i. Effluent from scrubber (s) and floor washing shall flow through closed conduit/pipe network. ii. Storm water shall not be allowed to mix with scrubber water and/or floor washings. iii. Storm water shall be channelized through separate drains passing through a HDPE lined pit having holding capacity of 10 minutes (hourly average) of rainfall. iv. The built up in Total Dissolved Solids (TDS) in wastewater of floor washings shall not exceed 1000 mg/l over and above the TDS of raw water used. v. Effluent shall not be stored in holding tank(s) in such manner which may cause pollution to groundwater." vi. Effluent (scrubber water and floor washings) shall be discharged into receiving water conforming to the norms prescribed under Schedule VI: General Standards for Discharge of Environment Pollutions (Part A: Effluents) notified under the Environment (Protection) Rules, 1986".	

[F. No.Q-15017/34/2006-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E) 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433 (E) dated 18th April 1987, S.O. 64 (E) dated 18th January 1988, S.O. 3 (E) dated 3rd January 1989, S.O. 190 (E) dated 15th March 1989, G.S.R. 913 (E) dated the 24th October 1989, S.O. 12 (E) dated the 8th January 1990, G.S.R. 742 (E) dated the 30th August 1990, S.O. 23 (E) dated the 16th January 1991, G.S.R. 93 (E) dated the 21st February 1991 G.S.R. 95 (E) dated the 12th February 1992, G.S.R. 329 (E) dated the 13th March 1992, G.S.R. 475 (E) dated the 5th May 1992 G.S.R. 797 (E) dated the 1st October 1992, G.S.R. 386 (E) dated the 28th April 1993, G.S.R. 422 (E) dated the 19TH May 1993, G.S.R. 801 (E) dated the 31st December 1993, G.S.R. 176 (E) dated the 3rd April 1996, G.S.R. 631 (E) dated the 31st October 1997, G.S.R. 504 (E) dated the 20th August 1998, G.S.R. 7 (E) dated the 2nd January 1999, G.S.R. 682 (E) dated the 6th October 1999, G.S.R. 742 (E) dated the 25th September 2000, G.S.R. 72 (E) dated the 6th February 2001, G.S.R. 54 (E) dated the 22nd January 2002, G.S.R. 371 (E) dated the 17th May, 2002, G.S.R. 489 (E) dated the 9th July 2002, S.O. 1088 (E) dated the 11th October 2002 and G.S.R. 849 (E) dated the 30th December 2002, G.S.R. 520 (E) dated 1st July, 2003, G.S.R. 92 (E) dated 29th January 2004, G.S.R. 448 (E) dated 12th July 2004, Corrigenda G.S.R. 520 (E) dated 12th

August 2004, G.S.R. 272 (E) dated 5th May 2005, G.S.R. 315 (E) dated 16th May 2005, G.S.R. 546 (E) dated 30th August 2005, G.S.R. 46 (E) dated 3rd February 2006, G.S.R. 464 (E) dated 7th August 2006, G.S.R. 640 (E) dated 16th October 2006, G.S.R. 566 (E) dated 29th August 2007, G.S.R. 704 (E) dated 12th November 2007, G.S.R. 186 (E), dated 18th March 2008, G.S.R. 280 (E) dated 11th April 2008, G.S.R. 344 (E), dated 7th May 2008, G.S.R. 414 (E) dated 30th May 2008, G.S.R. 481 (E) dated 26th June 2008, G.S.R. 579 (E) dated 6th August 2008, G.S.R. 600 (E) dated 18th August 2008, G.S.R. 752 (E) dated 24th October 2008 and G.S.R. 844 (E) dated 18th February 2009.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.